<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 984

17 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

एफएसएनएल में अनियमितता

984. श्री राजेश वर्माः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध भर्ती और निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने आरोप लगाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त प्रबंध निदेशक ने एफएसएनएल के कई सूचनाप्रदाताओं पर झूठे आरोप लगाकर जांच के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है/करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): जी हाँ। विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार को फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के विरुद्ध भर्ती और टेंडरिंग प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार के अभियोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस अवधि के दौरान ऐसे अभियोगों से संबंधित कुल 48 शिकायतें प्राप्त की गई थी, जिनमें से 29 शिकायतों पर कार्यवाहियाँ पूरी कर ली गई हैं।

(ग) और (घ): जी नहीं। एमडी, एफएसएनएल द्वारा एफएसएनएल की विस्ल ब्लोवर पॉलिसी के अनुसार किसी भी मुखबिर कार्मिक की सेवाओं को निलंबित नहीं किया गया। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमों के अनुसार जाँच-पड़ताल/पूछताछ के आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ङ): जी नहीं।

****